



प्रेस-नोट

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश

(30 अक्टूबर 2020, लखनऊ)

“कोविड-19 के बाद उत्तर प्रदेश तेजी से भारत के प्रमुख आर्थिक केन्द्र के रूप में उभर रहा है”

“निवेशकों की सुविधा हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने 52 प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं का सरलीकरण किया”

“कोविड-19 कालखण्ड के बाद के परिदृश्य में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषित की हैं अनेक निवेशोन्मुख नीतियां”

“राज्य सरकार द्वारा किए गए नीतिगत सुधारों के सकारात्मक परिणाम मिलने प्रारम्भ हो गए हैं”

“भूमि आवंटन से सम्बंधित महत्वपूर्ण सुधारों के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश में बड़ी निवेश परियोजनाओं हेतु द्वार खुल गए हैं”

“विगत 6 माह में उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा 6,700 करोड़ रुपये की निवेश परियोजनाओं के लिए 326 भूखंडों का आवंटन किया गया”

“मेक-इन-यूपी को प्रोत्साहित करने के लिए एक्सप्रेसवेज के किनारे कई औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना है”

“कोविड-19 के बाद 14,900 करोड़ रुपये के निवेश-प्रस्तावों को वास्तविक परियोजनाओं में परिवर्तित कर उत्तर प्रदेश सरकार अब तक 43 प्रतिशत हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों (एमओयू) का कार्यान्वयन करवाने में सफल हुई है”

“कोविड-19 कालखण्ड के बाद बदलते हुए बाजार परिदृश्य में राज्य सरकार ने नई परिस्थितियों के अनुरूप कदम उठाए हैं, अब नए सेक्टरों पर फोकस किया जा रहा है”

“विभिन्न संस्थागत सुधारों से उत्तर प्रदेश में निवेश प्रक्रिया सरल व सुगम हुई है”

“अनेक राष्ट्रीय एवं विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्तर प्रदेश में 45,000 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित”

उत्तर प्रदेश सरकार नए रोजगार के अवसरों के सृजन एवं राज्य के निवासियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए राज्य में औद्योगीकरण-जनित विकास हेतु महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। राज्य में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं—

व्यावसायिक सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस)

- भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा हाल ही में घोषित बिजनेस रिफॉर्म ऐक्शन प्लान रैंकिंग में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग, राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हुई उल्लेखनीय प्रगति का स्पष्ट प्रमाण है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 3 वर्षों में 12 स्थानों की अभूतपूर्व प्रगति करते हुए द्वितीय स्थान प्राप्त किया है।

- राज्य सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में रिकॉर्ड 186 सुधारों को लागू किया गया है, जैसे— श्रम विनियमन, निरीक्षण नियम, भूमि आवंटन, संपत्ति पंजीकरण, पर्यावरण स्वीकृति तथा करों का भुगतान आदि।
- राज्य में निवेशकों पर विनियामक भार को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नवीनीकरण, निरीक्षण, रजिस्टर व रिकॉर्ड तथा रिटर्न फाइल करने के संदर्भ में लाइसेंसों एवं अनापत्ति प्रमाणपत्रों को चिन्हित करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। इस संबंध में 15 विभागों में अब तक 80 ऐसे प्रक्रियात्मक अनुपालनों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 52 प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं का सरलीकरण किया भी जा चुका है।
- राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रमुख सुधारों में से एक, भारत के सबसे बड़े डिजिटल सिंगल विण्डो पोर्टल 'निवेश मित्र' का कार्यान्वयन है, जिसके माध्यम से उद्यमियों को लगभग 166 सेवाएं प्रदान की जाती हैं। उद्यमियों के आवेदनों के 93 प्रतिशत की औसत निस्तारण दर के साथ निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त 98 प्रतिशत शिकायतों का निस्तारण सफलतापूर्वक किया गया है।

कोविड-19 के उपरान्त प्रारम्भ की गई निवेश परियोजनाएं

- विगत 6 माह में उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों ने निवेश परियोजनाओं के लिए लगभग 426 एकड़ (326 भूखण्ड) आवंटित किए हैं, जिसमें लगभग 6,700 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है और लगभग 1,35,362 रोजगार के अवसरों के सृजन की सम्भावना है। इसमें प्रमुख रूप से हीरानंदानी ग्रुप, सूर्या ग्लोबल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एमजी कैप्सूल्स, केशो पैकेजिंग, माउंटेन व्यू टेक्नोलॉजी इत्यादि निवेशक सम्मिलित हैं।

कोविड-19 के उपरान्त प्राप्त निवेश-प्रस्ताव

- राज्य सरकार ने 40 से अधिक निवेश आशयों को आकर्षित करने में सफलता प्राप्त की है, जिसमें लगभग 10 देशों, जैसे— जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस), यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी, दक्षिण कोरिया आदि की कंपनियों के लगभग 45,000 करोड़ रुपये के निवेश-प्रस्ताव सम्मिलित हैं।
- इसमें निम्नलिखित निवेश परियोजनाएं सक्रिय क्रियान्वयन के अधीन हैं—
 - हीरानंदानी ग्रुप द्वारा डाटा सेंटर में रु. 750 करोड़ का निवेश
 - ब्रिटानिया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा एकीकृत खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने में रु. 300 करोड़ का निवेश
 - एसोसिएटेड ब्रिटिश फूड पीएलसी (एबी मौरी) (यूके) द्वारा खमीर मैनुफैक्चरिंग में रु. 750 करोड़ का निवेश
 - डिक्सन टेक्नोलॉजीज द्वारा कन्ज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में रु. 200 करोड़ का निवेश
 - वॉन वेलिक्स (जर्मनी) द्वारा फुटवियर निर्माण में रु. 300 करोड़ का निवेश
 - सूर्या ग्लोबल फ्लेक्सि फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पीओपीपी, बीओपीईटी, मेटालाइज्ड फिल्मस प्रोडक्शन प्लांट में रु. 953 करोड़ का निवेश
 - मैक सॉफ्टवेयर (यूएस) द्वारा सॉफ्टवेयर विकास में रु. 200 करोड़ का निवेश
 - एकैग्रेटा इंक (कनाडा) द्वारा अनाज अवसंरचना उपकरणों में रु. 746 करोड़ का निवेश
 - एडिसन मोटर्स (दक्षिण कोरिया) द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों में रु. 750 करोड़ का निवेश
 - याज़ाकी (जापान) द्वारा वायरिंग हारनेस तथा कम्पोनेंट्स में रु. 2,000 करोड़ का निवेश

कोविड-19 के उपरान्त घोषित नवीन नीतियां

- औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के शुभारंभ एवं 20 क्षेत्र-विशिष्ट पूरक नीतियों के साथ राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए नीति-संचालित शासन तंत्र ने उद्यमिता, नवाचार और मेक-इन-यूपी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

- राज्य सरकार ने कोविड-19 कालखण्ड के उपरान्त 'पिछड़े क्षेत्रों के लिए त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020' घोषित की है। इस ऐतिहासिक नीति के अन्तर्गत नीति की अधिसूचना की तिथि से 6 माह की अवधि में आवेदन किए जा सकते हैं, इसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के पूर्वांचल, मध्यांचल और बुंदेलखण्ड क्षेत्रों में नई औद्योगिक इकाइयों को फास्ट ट्रैक मोड में आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 के कारण इन्हीं क्षेत्रों में अधिकतर प्रवासी मजदूरों व कामगारों की वापसी हुई है।
- इसी प्रकार राज्य सरकार ने राज्य भर में ईएसडीएम (इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एण्ड मैनुफैक्चरिंग) योजना और कम्पोनेंट निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए नई इलेक्ट्रॉनिक्स नीति घोषित की है।
- गैर-आईटी आधारित स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देने के लिए एक नई स्टार्टअप नीति-2020 घोषित की गई है।
- इस श्रृंखला में डाटा सेंटर नीति भी शीघ्र ही घोषित की जाएगी।

कोविड-19 के उपरान्त नीतिगत सुधार

- बुंदेलखण्ड और पूर्वांचल में निजी औद्योगिक की पात्रता सीमा 100 एकड़ से घटा कर 20 एकड़ कर दी गई है, निजी औद्योगिक पार्कों के लिए पश्चिमांचल एवं मध्यांचल में 150 एकड़ से घटा कर 30 एकड़ और लॉजिस्टिक्स पार्कों के लिए पूरे प्रदेश में 50 एकड़ से घटा कर 25 एकड़ भूमि की आवश्यकता का प्राविधान कर दिया गया है।
- लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को 'उद्योग का दर्जा' प्रदान किया गया है। ज़ोनिंग नियमों में संशोधन किया गया है, जिससे लॉजिस्टिक्स इकाइयों को औद्योगिक भू-उपयोग का लाभ मिल सके।
- इसके अतिरिक्त ऐसी लॉजिस्टिक्स इकाइयों को औद्योगिक दरों पर औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की भूमि के आवंटन की भी अनुमति प्रदान की गई है।
- कोविड-19 महामारी के बाद राज्य सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बड़ी राहत देते हुए मण्डी परिसर के बाहर लेनदेन पर मण्डी शुल्क को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है।

कोविड-19 के उपरान्त भूमि आवंटन प्रक्रिया में सुधार

- सिंगल विण्डो पोर्टल-निवेश मित्र के माध्यम से सभी प्रमुख औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में भूमि का ऑनलाइन आवंटन तथा वास्तविक समय में अपडेशन हेतु भारत सरकार के औद्योगिक सूचना प्रणाली (आईआईएस) पोर्टल के साथ औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) का एकीकरण।
- एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप में मिश्रित भूमि उपयोग हेतु ज़ोनिंग नियमों में संशोधन की अनुमति दी गई है।
- औद्योगिक भूमि के लिए एफएआर को बढ़ाकर 3.5 कर दिया गया है (2.5 अनुमन्य + 1 क्रय योग्य एफएआर)।
- उद्योगों को उनकी सरप्लस भूमि को सब-डिवाइड करने की अनुमति दी गई है।
- भूमि को अवरुद्ध करने को हतोत्साहित करने के लिए 5 वर्षों के भीतर भूमि का उपयोग करने में विफल होने पर भूमि आवंटन के निरस्तीकरण के लिए उ.प्र. औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 में संशोधन किया गया है।
- 45 दिनों के भीतर भूमि को गैर-कृषि घोषित करने के लिए आवेदन के निस्तारण के आदेश को अधिसूचित किया गया है।
- औद्योगिक भूमि की सुलभ उपलब्धता के लिए लैण्ड पूलिंग नीति अधिसूचित की गई है।

- सीलिंग सीमा से अधिक कृषि भूमि की खरीद में आसानी के लिए राजस्व संहिता में संशोधन किया गया है और इसके अनुमोदन का अधिकार जिला-स्तर के अधिकारियों को प्रदान कर दिया गया है।
- सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को मेगा और इससे उच्च श्रेणी के उद्योगों को आवेदन की तिथि से 15 दिनों के भीतर भूमि प्रदान करने के लिए निर्देशित किया गया है।

कोविड-19 के उपरान्त भूमि बैंक सृजन

- प्रदेश में पूर्व से ही पहले से ही 20,000 एकड़ का औद्योगिक भूमि बैंक उपलब्ध है।
- इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2021 में लगभग 5,000 एकड़ के भूमि बैंक के विकास का लक्ष्य निर्धारित करते हुए अगस्त-सितंबर, 2020 में मात्र 2 माह की अवधि में राज्य सरकार ने विभिन्न औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के माध्यम से लक्ष्य का 13.67 प्रतिशत प्राप्त कर लिया है।
- राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए एक्सप्रेसवेज के किनारे लगभग 22,000 एकड़ भूमि चिन्हित की है। इस भूमि में से विभिन्न विकास मॉडलों के माध्यम से औद्योगिक पार्कों की स्थापना के लिए फिरोजाबाद, आगरा, उन्नाव, चित्रकूट, मैनपुरी और बाराबंकी जिलों में छह उच्च संभावना वाले स्थानों की पहचान की गई है।

समझौता ज्ञापन (एमओयू) कार्यान्वयन

- कोविड-19 के उपरान्त लगभग 8,500 करोड़ रुपये के निवेश वाली 7 परियोजनाओं में वाणिज्यिक संचालन प्रारम्भ हो गया है, जबकि लगभग 6,400 करोड़ रुपये के निवेश की 19 परियोजनाएं सक्रिय कार्यान्वयन के अधीन हैं। इस प्रकार प्राप्त निवेश आशयों में से अब लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का निवेश, अर्थात् लगभग 43 प्रतिशत निवेश कार्यान्वयन के सक्रिय चरणों के अधीन है।
- एक लाख करोड़ रुपये से अधिक निवेश वाले 200 से अधिक निवेश प्रस्तावों वाले विभागों को विभाग के प्रमुख की अध्यक्षता में एक परियोजना अनुश्रवण इकाई (पीएमयू) और अन्य विभागों को एक सेल के सृजन का आदेश दिया गया है।
- प्रत्येक नोडल विभाग को निवेशकों की सहायता करने के लिए एक समर्पित नोडल अधिकारी की नियुक्ति का आदेश दिया गया है।
- 500 करोड़ रुपये तक के निवेश प्रस्तावों की सहायता के लिए मण्डल स्तर पर नोडल अधिकारियों को नामित किया जाता है, 2,000 करोड़ रुपये तक के एमओयू के लिए विशेष सचिव / निदेशक रैंक के अधिकारियों को नामित किया जाता है और 2,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव की सुविधा के लिए विभाग के प्रमुख या सचिव स्तर के अधिकारी को उत्तरदायी बनाया गया है।
- राज्य सरकार ने एमओयू के अनुश्रवण के लिए एक डिजिटल ट्रैकिंग तंत्र विकसित किया है। ऑनलाइन एमओयू ट्रैकिंग पोर्टल पर निवेशकों, नोडल विभागों और नोडल अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन एमओयू ट्रैकिंग पोर्टल के माध्यम से निवेश परियोजनाओं की प्रगति की मासिक समीक्षा की जाती है।

कोविड-19 के उपरान्त नवीन फोकस सेक्टर

- राज्य सरकार द्वारा नए प्रकार के उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जैसे- बल्क ड्रग तथा मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग। इसके लिए राज्य सरकार समर्पित औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर कार्य कर रही है।
- लॉजिस्टिक्स, डिफेंस, डेटा सेंटर आदि सेक्टरों का भविष्य भी उज्ज्वल है। राज्य सरकार नए बाजार के रुझानों के अनुसार नए अवसरों का लाभ उठाने हेतु कार्यवाही कर रही है।

- ग्रेटर नोएडा में 5,000 हेक्टेयर में विकसित किया जाने वाला जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तरी भारत के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक होगा। हवाई अड्डे के साथ एमआरओ / कार्गो कॉम्प्लेक्स और एयरोट्रोपोलिस जैसी परियोजनाओं के विकास की अच्छी संभावना है। इसके अतिरिक्त एमएसएमई पार्क, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क, परिधान पार्क, हस्तशिल्प पार्क और खिलौना पार्क भी इस क्षेत्र में प्रस्तावित हैं। राज्य सरकार ने प्रस्तावित जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लगभग 6 किमी दूर 1,000 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में हाल ही में एक फिल्म सिटी की घोषणा की है। इन योजनाओं में 40,000 करोड़ रुपये के निवेश और लगभग 2.5 से 3 लाख रोजगारों के सृजन की संभावना है।

कोविड-19 के उपरान्त संस्थागत सुधार

- निवेशकों को सुविधा एवं सहायता प्रदान करने के लिए एक समर्पित एजेंसी- 'इन्वेस्ट यूपी' की स्थापना की गई है। देश में समान प्रकृति के संगठनों के विपरीत, जो या तो निवेश प्रोत्साहन या निवेश सुविधा प्रदान करते हैं, इन्वेस्ट यूपी निवेशकों को पूर्ण निवेश जीवन-चक्र की अवधि में सहायता प्रदान करेगा।
- विभिन्न नए स्वदेशी व विदेशी निवेश प्रस्तावों की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने 'इन्वेस्ट यूपी' में एक समर्पित हेल्पडेस्क स्थापित किया है।
